भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में चिकित्सा रिकार्ड तकनीशियन के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में चिकित्सा रिकार्ड तकनीशियन के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारुप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारुप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
1.	पद का नाम	चिकित्सा रिकार्ड तकनीशियन	चिकित्सा रिकार्ड तकनीशियन	कोई परिवर्तन नहीं
2.	पदों की सं.	1	1* (2017) (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	कोई परिवर्तन नहीं।
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	कोई परिवर्तन नहीं।
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन	रु; 1200-2040 (चौथा के.वे.आ.) रु. 4000-100-6000 (पांचवा वेतन आयोग) पीबी-1, जी.पी. 2400 (छठा वेतन आयोग) वेतन मैट्रिक्स का लेबल-4 (रु. 25500) (सातवां के.वे.आ.)	लेबल -4 (रु. 25500-रु. 81100)	सीसीएस (आरपी) नियमावली एवं 7वें के.वे.आ. की संस्तुति के अनुसार
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	चयन	लागू नहीं।	यदि भर्ती पद्धति सीधी भर्ती है तो दिनांक 31.12.2010 के का.ज्ञा.सं. ए.बी. - 14017/48/2010-स्था. (आर.आर.) के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पद्धति लागू नहीं है।
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय)। टिप्पणि:सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा के लिए	18 से 25 वर्ष के बीच (विभागीय आवेदकों के लिए उच्च आयु सीमा केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेश के अनुसार 40 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी) टिप्पणी: आयु सीमा के निर्धारण की निर्धारण के	दिनांक 31.3.2015 के का.ज्ञा. संख्या एबी-14017/13/2013-स्था. (आर.आर.) के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि पद अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा

		की तारीख भारत में रहने वाले आवेदकों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहने वाले आवेदकों को छोड़कर) आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख होगी। टिप्पणी 2 : ऐसे पदों जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, के लिए आयु सीमा के निर्धारण की तारीख वह होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।	निर्धारण की तारीख भारत में रहने वाले आवेदकों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख होगी न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा पांगी उप-प्रभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों के आवेदकों से।	जाना है तो आयु सीमा 18 और 27 वर्ष के बीच होगी और यदि नहीं तो आयु-सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अंग्रेजी एक विषय के साथ हायर सेंडेरी या समकक्ष 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्था या प्रशिक्षण केन्द्र से चिकित्सा रिकार्ड में छह महीनों का प्रशिक्षण।	1. इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्था या प्रशिक्षण केन्द्र से चिकित्सा रिकार्ड तकनीशियन का डिप्लोमा।	पी.आई.पी. रांची, द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार।
8	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	2 वर्ष	कोई परिवर्तन नहीं।
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	50% सीधी भर्ती द्वारा। 50% प्रोन्नति द्वारा अन्यथा रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	सीधी भर्ती द्वारा	केवल एक पद है इसलिए भर्ती की पद्धति 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा एवं 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा नहीं हो सकती।

11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	चिकित्सा रिकार्ड अनुभाग में 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले निम्न श्रेणी लिपिकों से प्रोन्नति द्वारा।	लागू नहीं।	पद को 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	विभागीय प्रोन्नति समिति: 1 संस्थान के निदेशक – अध्यक्ष 2. विशेषज्ञ ग्रेड –I अधिकारी- सदस्य 3. प्रशासानिक अधिकारी –सदस्य	विभागीय स्थायीकरण समिति : 1. निदेशक, सीआईपी – अध्यक्ष 2. चिकित्सा अधिकारी - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य	पदोन्नति/स्थायीकरण हेतु डीपीसी/डीसीसी अनिवार्य है।
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं।